

सं०सं०-1/अ०कॉ०-03/2017- 50(1)१०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 10 / 10 / 2017

विषय:- अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के पुराने भवनों में विद्युत आपूर्ति के सुदृढीकरण हेतु LT Line का LTAB Cable एवं PCC Poles का बदलाव एवं 100/200 KVA के ट्रान्सफॉर्मर के क्रय हेतु इंडिया पावर कॉरपोरेशन लि०, बोधगया से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 74,38,189/- मात्र की लागत पर स्कीम की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 74,38,189/- (रुपये चौहत्तर लाख अड़तीस हजार एक सौ नबासी) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं०-1192(1) दिनांक-10/10/17 द्वारा अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के पुराने भवनों में विद्युत आपूर्ति के सुदृढीकरण हेतु LT Line का LTAB Cable एवं PCC Poles का बदलाव एवं 100/200 KVA के ट्रान्सफॉर्मर के क्रय हेतु इंडिया पावर कॉरपोरेशन लि०, बोधगया से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 74,38,189/- मात्र की लागत पर स्कीम की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 74,38,189/- (रुपये चौहत्तर लाख अड़तीस हजार एक सौ नबासी) मात्र के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उपरोक्त कार्य इंडिया पावर कॉरपोरेशन लि०, बोधगया के माध्यम से कराया जाएगा। इंडिया पावर कॉरपोरेशन लि० द्वारा निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाएगा:-

(क) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ली जाएगी की संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा हो या कराया गया हो।

(ख) इंडिया पावर कॉरपोरेशन लि० तैयार प्राक्कलन के आधार पर ही कार्य करायेंगे।

(ग) राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार करेंगे।

(घ) कार्य का सघन पर्यवेक्षण इंडिया पावर कॉरपोरेशन लि० द्वारा अधिकृत, नामित/एजेंसी द्वारा कराया जाएगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।

(ङ) कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत वांछित गुणवत्ता के साथ हो, यह सुनिश्चित कराया जाए।

(च) इंडिया पावर कॉरपोरेशन लि० द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाए।

(छ) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए इंडिया पावर कॉरपोरेशन लि० के संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार माना जायेगा।


3- यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक-06.05.06 एवं 2938/वि०(2) दिनांक-08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

← 11/10/17

क्रमशः

- 4- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105- एलोपैथी-0007-मगध मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050007 के विषय शीर्ष 0007.52.01 मशीनें एवं उपकरण कार्यालय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से की जायेगी।
- 5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
- 6- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म-26 पर करते हुए बैंक ड्राफ्ट "नामे India Power Corporation (Bodhgaya) Ltd., जो Gaya में भुगतये होगा" के माध्यम से General Manager, Operation, India Power Corporation (Bodhgaya) Limited, Gaya को उपलब्ध करायेंगे।
- 7- इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- 8- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।
- 9- राशि की अग्रिम निकासी में मा0 मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(सच्चिदानन्द चौधरी)


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/अ0कॉ0-03/2017- 50(1)970 /स्वा0, पटना, दिनांक- 10/10/2017
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, गया/जिलाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/General Manager, Operation, India Power Corporation (BodhGaya) Limited, C-3/C-4, DVC Colony, Chandauti, Gaya-823001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 10/10/2017

विषय:- अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के पुराने भवनों में विद्युत आपूर्ति के सुदृढीकरण हेतु LT Line का LTAB Cable एवं PCC Poles का बदलाव एवं 100/200 KVA के ट्रान्सफॉर्मर के क्रय हेतु इंडिया पावर कॉरपोरेशन लि0, बोधगया से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु0 74,38,189/- (रुपये चौहत्तर लाख अड़तीस हजार एक सौ नबासी) मात्र की लागत पर स्कीम की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के पत्रांक-1006 दिनांक-28.06.2017 के आलोक में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के पुराने भवनों में विद्युत आपूर्ति के सुदृढीकरण हेतु LT Line का LTAB Cable एवं PCC Poles का बदलाव एवं 100/200 KVA के ट्रान्सफॉर्मर के क्रय हेतु इंडिया पावर कॉरपोरेशन लि0, बोधगया से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु0 74,38,189/- (रुपये चौहत्तर लाख अड़तीस हजार एक सौ नबासी) मात्र की लागत पर स्कीम की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उपरोक्त कार्य इंडिया पावर कॉरपोरेशन लि0, बोधगया के माध्यम से कराया जाएगा। इंडिया पावर कॉरपोरेशन लि0 द्वारा निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाएगा:-

(क) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ली जाएगी की संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा हो या कराया गया हो।

(ख) इंडिया पावर कॉरपोरेशन लि0 तैयार प्राक्कलन के आधार पर ही कार्य करायेंगे।

(ग) राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार करेंगे।


(घ) कार्य का सघन पर्यवेक्षण इंडिया पावर कॉरपोरेशन लि0 द्वारा अधिकृत, नामित/एजेंसी द्वारा कराया जाएगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।

(ङ) कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत वांछित गुणवत्ता के साथ हो, यह सुनिश्चित कराया जाए।

(च) इंडिया पावर कॉरपोरेशन लि0 द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाए।

(छ) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए इंडिया पावर कॉरपोरेशन लि0 के संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार माना जायेगा।


3- यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 2880/वि0(2) दिनांक-06.05.06 एवं 2938/वि0(2) दिनांक-08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।



क्रमशः

- 4- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105- एलोपैथी-0007-मगध मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050007 के विषय शीर्ष 0007.52.01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से की जायेगी।
- 5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
- 6- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म-26 पर करते हुए बैंक ड्राफ्ट "नामे India Power Corporation (Bodhgaya) Ltd., जो Gaya में भुगतये होगा" के माध्यम से General Manager, Operation, India Power Corporation (Bodhgaya) Limited, Gaya को उपलब्ध करायेंगे।
- 7- प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-1/अ0कॉ0-03/2017 के पृष्ठ-...../टि० पर प्राप्त है।
- 8- इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- 9- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।
- 10- यह मात्र राज्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
- 11- राशि की अग्रिम निकासी में मा० मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन /



(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक-1/अ0कॉ0-03/2017- 1192 (1) /स्वा०, पटना, दिनांक- 10/10/2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, गया/जिलाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/General Manager, Operation, India Power Corporation (BodhGaya) Limited, C-3/C-4, DVC Colony, Chandauti, Gaya-823001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव